मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 226 / 2024

1. गुरतेज सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख साकिन 3 टीकेडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. दलजीत सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख साकिन 3 टीकेडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. मलकीत सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख साकिन 3 टीकेडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

ब ना म

– वादीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 11/08/25

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट एवं जलसंसाधन विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

तहसील पीलीबंगा के चक 3 टीकेडब्लयू के प.नं. 9/219 के किला नं. 17/2, 25/2 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. कुतरी खाला व प.नं. 9/220 के किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 प्रत्येक मे 0.025–0.025 हैक. गै.मु. खाला को निरस्त करते हुए वादीगण के नाम से अमल दरामद राजस्व अभिलेख मे किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के [illegible] हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग [illegible] कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन [illegible] जायेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह [illegible] आज दिनांक 11/8/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:48:52 IST
Reason: SelfAttested